न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी –संजय शर्मा

जी.सी.एम.एस. संख्या :–2022 / 99

प्रार्थना पत्र संख्या 63 / 2022 तारीख रजू 10.11.2022

1. प्रभू पुत्र मूड़या गुर्जर निवासी ग्राम श्यामोली तहसील मलारनाडूंगर जिला सवाईमाधोपुर

..........प्रार्थी

बनाम

1. हरकेश पुत्र हीरा गुर्जर निवासी ग्राम श्यामोली तहसील मलारना डूंगर जिला स0मा0
2. उर्मिला पत्नि हरकेश गुर्जर निवासी ग्राम श्यामोली तहसील मलारना डूंगर जिला स0मा0
3. भू आवंटन सलाहकार समिति व आवंटन अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) सवाई माधोपुर

..........अप्रार्थीगण

उपस्थित – श्री रंगलाल गुर्जर एडवोकेट – प्रार्थी की ओर से

श्री हिम्मत सिंह एडवोकेट – अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से

निर्णय

दिनांक 16.03.2026

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) राजस्थान भू आवंटन नियम 1970 द्वारा आवंटन आदेश दिनांक 10.06.2002 के विरूद्व प्रस्तुत किया गया! जिसके द्वारा अप्रार्थी संख्या–1 हरकेश पुत्र हीरा गुर्जर व 2 उर्मिला पत्नि हरकेश गुर्जर निवासीयान ग्राम श्यामोली तहसील मलारना डूंगर को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा ग्राम श्यामोली में दिनांक 10.06. 2002 को खसरा नम्बर 105 / 19 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा का किया गया आवंटन को निरस्त कराने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गयी। अप्रार्थीगण जरिये वकील उपस्थित हुए। अदालत मातहत की मूल आवंटन पत्रावली प्राप्त हुई। प्रकरण में बहस़ उभय पक्ष सुनी गई।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया कि आवंटीगण का आवंटित भू[illegible]रत था ना ही वर्तमान में इस भूमि पर आवंटीगण का आवंटन होने के पहले से [illegible] प्रार्थी का बुर्जुगों के समय से कब्जाकाश्त चला आ रहा है। इस अहम बिन्दु [illegible]कर आवंटन किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। आवंटित भूमि पर आवंटी को प्रथम वर्ष 50 प्रतिश[illegible] द्वितीय वर्ष

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.05.12 16:10:07 IST
Reason: SelfAttested

अति० जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

में सम्पूर्ण आंवटित भूमि पर कब्जाकाश्त होना आवश्यक है जबकि आवंटीगण का राजस्व रिकार्ड अनुसार आज दिन तक भी कोई कब्जाकाश्त नहीं होने से आवंटन अधिनियम के तहत स्वयमेव ही निरस्त होने योग्य है। आवंटन कमेटी ने आवंटन गलत तरीके से 10.06.2002 को किया और उसी दिन पटवारी हलका सांकडा द्वारा नामांतकरण भी भर दिया जबकि 10.06.2002 को आवंटन हुआ है उस दिन कैसे नामांतकरण भर सकते है क्योंकि उस दिन तो आवंटन कमेटी मुकाम श्यामोली में उपस्थित थी और आवंटन आदेश की पत्रावली आवंटन कमेटी सवाई माधोपुर लेकर आ गयी तो उसी दिन उप जिला कलेक्टर कैसे आदेश देंगे और उप जिला कलेक्टर बौंली का नामान्तकरण संख्या 598 के क्र0सं0 14 में एसडीओ बौंली का अंकन किया है उसमें कोई पत्र क्रमांक अंकित नहीं है ना आदेश क्रमांक अंकित है केवल 10.06.2002 लिखा हुआ है। इससे भलीभांति सिद्ध है कि यह आवंटन व मुकाम श्यामोली में किया ही नहीं गया था ये सारी कार्यवाही विपक्षीगण ने अवैध तरीके से की है इसलिए आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है। यह कि आवंटित भूमि राजस्व रिकार्ड खसरा गिरदावरी सम्वत 2056 से लेकर 2059, 2060 से लेकर 2063, 2064 से लेकर 2067 में यह भूमि सिवायचक बंजड अंकित है। इस खसरा नम्बर के सेटिलमेन्ट विभाग द्वारा सेटिलमेन्ट करने के पश्चात नये ख0नं0 172/1050, रकबा .89 हैक्टेयर बने है। इस राजस्व रिकार्ड के हिसाब से आवंटीगण का आज तक भी उस भूमि पर कोई कब्जाकाश्त नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है। यह कि पुराने ख0नं0 105 बहुत बडा रकबा है, आवंटित भूमि के नये ख0नं0 172/1050, रकबा .89 हैक्टेयर बने है। जो भूमि आवंटीगण को आवंटित की है इस भूमि पर प्रार्थी के पिताजी मूड़या पुत्र ग्यारस्या का कब्जाकाश्त सम्वत 2030 से पहले से चला आ रहा है। जिसमें फसल का भी अंकन हो रहा है, इस ख0नं0 में प्रार्थी के पिताजी मूडया पुत्र ग्यारस्या का ख0नं0 105 पर रकबा करीब 8 बीघा भूमि पर कब्जाकाश्त चला आ रहा है जिसका अंकन खसरा परिवर्तनशील सम्वत 2030 से 2032, 2033 में अंकन हो रहा है। जिसके खाने नम्बर 5 जिन्स में फसल ज्वार का भी अंकन हो रहा है एवं इसी खसरा परिवर्तनशील के विशेष विवरण के खाना नम्बर 16 में यह भूमि प्रार्थी के पिताजी मूडया पुत्र ग्यारस्या को नियमन हो चुकी थी। इन सारे राजस्व रिकार्ड को अन्देखा कर आवंटित समिति ने अवैधानिक रूप से अप्रार्थीगण को आवंटित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। पुराने ख0नं0 105/18 रकबा 12 बिस्वा में ज्वार, ख0नं0 105/19/1 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा में ज्वार, ख0नं0 105/19/2 रकबा 1 बीघा में ज्वार, ख0नं0 105/19/3 रकबा 15 बिस्वा में ज्वार, ख0नं0 105/19/4 रकबा 5 बिस्वा में ज्वार का अंकन खसरा परिवर्तनशील सम्वत 2034 में प्रार्थी प्रभू पुत्र मूडया का अंकन हो रहा है। उसके खाने नम्बर 15 में नियमन का अंकन हो रहा है। इसी प्रकार खसरा परिवर्तनशील सम्वत 2[illegible]6, 2038, 2040 में फसल का अंकन प्रार्थी के नाम हो रहा है। तभी से आज तक इस [illegible] पहले प्रार्थी के पिता मूडया का और अब प्रार्थी का कब्जाकाश्त चला आ रहा है। [illegible] राजस्व रिकार्ड को अंदेखा कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.05.12 16:10:07 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

आवंटन कमेटी ने बिना न्यायिक विवेक के उपयोग किये ही साधारण दिनचर्या में आवंटन किय है जो निरस्त किये जाने योग्य है। सम्वत 2030 से लेकर 2040 तक की खसरा परिवर्तनशील नकलो में पहले प्रार्थी के पित के कब्जे के बाद विशेष विवरण में नियमन का अंकन है। प्रार्थी के पिताजी अनपढ भोले भाले सीधे थे व प्रार्थी भी अनपढ है। राजस्व कर्मचारी की लापरवाही के कारण प्रार्थी की नियमसुधा भूमि का राजस्व रिकार्ड में नामान्तकरण नहीं खोलकर जमाबंदियों में खातेदारियों का अंकन नहीं किया गया है। प्रार्थी अन्य पिछडा वर्ग का गरीब व्यक्ति है जो इन्हीं कृषि भूमियों से अपने परिवार का पालन पोषण करता आ रहा है। राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही के कारण ये जो आवंटन अवैध रूप से किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। राजस्व व आवंटन प्रावधानो के अन्तर्गत कोई भूमि किसी व्यक्ति के नाम आंवटित या नियमन हो जाती है वह आवंटन व नियमन जब तक सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं हो जाता है तब तक उस भूमि को दूसरे व्यक्ति को आवंटन या नियमन नहीं की जा सकती है। इस अहम कानूनी बिन्दु को नजर अंदाज करके आवंटन कमेटी ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर आवंटन किया है जो स्वमेव ही निरस्त होने योग्य है। उक्त कथनों के समर्थन में वकील प्रार्थी द्वारा विभिन्न न्यायिक दृष्टांत Gurbachan Singh Vs Panchya (124) (RRD 1982 page 305), L.Rs. of Ganga Bishan V. State of Raj. & anr. (392) (RRD 1994 page 756), Gopal v. Chhotelal & anr. (RRD 1994 page 757), Jagdish vs. Bhudha Lal & Anr. (RRT 2005(2) page 1399), State of Raj. v/s Ummed Singh & ors. (184) (RRD Oct. 2000 page 469), Raju V. Aam Janta, Sahajpur & ors. (208) (RRD Oct. 2001 page 465), मेहताब बनाम रज्जो (2020 RBJ 703), 2011(3) DNJ (Raj.) 1100 LR's of Chandra Singh vs State of Rajasthan & Ors., 2017(2) DNJ (Raj.) 757 Hari Shankar Mishra vs State of Rajasthan Thro' Tehsildar, Tehsil Ajmer, Nanuda vs State 2018-19(Supp.) RRT 338, Jagdish vs State of Rajasthan 2021(2) RRT 1090, Ratna vs Somalal 2021(2) RRT 1140 एवं इस्माइल बनाम रामजीलाल निगरानी/टीए/आईडीनं. 9182/07/चित्तोडगढ आदि पेश किये गये। अन्त में वकील प्रार्थी ने आवंटन सलाहकार समिति के द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 10.06.2002 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

वकील अप्रार्थीगण ने वकील प्रार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए बहस में कथन किया कि हम अप्रार्थीगण को आवंटन सलाहकार समिति ने ग्राम श्यामोली में दिनांक 10.06.2002 को खसरा नम्बर 105/19 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा का नियमानुसार आवंटन किया है। हमे उक्त आराजीयात आवंटन सलाहकार समिति के तीन महत्वपूर्ण सदस्यों के हस्ताक्षर से, पटवारी, गिरदावर की अनुशंषा से आवंटित हुई है। आवंटन उपरान्त से हम उक्त आराजी ख0नं0 105/19 पर काबिज है। प्रार्थी का कथन की उक्त आराजी ख0नं0 105/19 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा का उनके पक्ष में नियमन [illegible] है, एकदम असत्य है जिसका प्रमाण तहसीलदार मलारना डूंगर की रिपोर्ट [illegible] उक्त आराजी का प्रार्थी के पक्ष में नियमन नहीं हुआ है। प्रार्थी को हमारे आवंटन की जानकारी शुरू से ही थी। प्रार्थी ने उक्त आवंटन निरस्तीकरण हेतु प्रार्थना पत्र लगभग 20 वर्ष बाद प्रस्तुत किया है

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.05.12 16:10:07 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

जोकि मियाद बाहर प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र के साथ दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र भी पेश नहीं किया है। उक्त साबिक ख0नं0 105/19 के हाल ख0नं0 172/1050 रकबा 0.89 है0 के हम रिकार्डेड खातेदार है। हमे नामान्तकरण संख्या 329 दिनांक 19.7.2021 के द्वारा खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। उक्त भूमि खातेदारी की भूमि होने के कारण प्रा0प0 अन्तर्गत धारा 14(4) चलने योग्य नहीं है। अन्त में वकील अप्रार्थीगण ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) को खारिज करने का निवेदन किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने एवं अप्रार्थीगण द्वारा लिखित बहस के साथ पेश किए गए दस्तावेजात, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन एवं अध्ययन करने के पश्चात् मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि आवंटन सलाहकार समिति की अनुशंषा पर अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 हरकेश पुत्र हीरा गुर्जर निवासी ग्राम श्यामोली तहसील मलारना डूंगर तथा उर्मिला पत्नि हरकेश गुर्जर निवासी ग्राम श्यामोली तहसील मलारना डूंगर को आराजी साबिक खसरा नम्बर 105/19 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा हाल ख0नं0 172/1050 रकबा 0.89 है0 वाके ग्राम श्यामोली में आदेश दिनांक 10/06/2002 के द्वारा भूमि आवंटित की गई थी। उक्त आवंटनशुदा आराजी साबिक खसरा नम्बर 105/19 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा हाल ख0नं0 172/1050 रकबा 0.89 है0 का आवंटन निरस्त करने हेतु प्रार्थी प्रभू पुत्र मूड़या गुर्जर निवासी ग्राम श्यामोली तहसील मलारना डूंगर द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) दिनांक 10.11.2022 को पेश किया गया है जोकि लगभग 20 वर्ष पश्चात पेश किया है जबकि प्रकरण में अप्रार्थीगण को गैरखातेदारी से खातेदारी अधिकार नामान्तकरण संख्या 329 दिनांक 19.07.2021 के द्वारा प्राप्त हो चुके है। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पेश करने से पूर्व ही अप्रार्थीगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। उक्त भूमि खातेदारी की भूमि होने के कारण प्रा0प0 अन्तर्गत धारा 14(4) चलने योग्य नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 16.03.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय शर्मा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.05.12 16:10:07 IST
Reason: SelfAttested